



न्यायालय : - तहसीलदार,(न्यायिक)
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :मोहनलालगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202410460324024
वाद संख्या:- 24024/2024
आशीष सिंह बनाम रीता देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/11/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया जो बाद तामील शामिल पत्रावली है। कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है वाद वादी के साक्ष्य में नियत की गया। वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में समस्त मौखिक, अभिलेखीय साक्ष्य पंजीकृत विक्रय पत्र खतौनी व साठे बारह एकड से अधिक भूमि न होने से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया। एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान कराये गये लेखपाल के बयान के अनुसार वादीय भूमि गॉवसभा, सीलिंग, भूदान की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व लेखपाल के बयान से पंजीकृत विक्रय पत्र की पुष्टि होती है। लेखपाल द्वारा अपने बयान में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। जिससे यह विक्रय पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः आदेश किया जाता है कि-

आदेश

ग्राम-धरमगंद खेड़ा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाता संख्या 00003 की गाटा संख्या 236 रकबा 0.3050हे0 में से रकबा 0.0384हे0 विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा0गु0 60ख के अंकित खातेदार/विक्रेता अमरेन्द्र पुत्र रामसुचित निवासी धरमगंदखेडा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का नाम पृथक कर क्रेता ख्वाहिश कन्स्ट्रक्सनस प्रा0लि0 कार्यालय पता द्वितीय तल, एलडिको कार्पोरेट चैम्बर नं0-01 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी आशीष सिंह पुत्र हरिबंश नारायण निवासी 116, नारायणपुर, सुल्तानपुर उ0प्र0 बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा विलेख दिनांक 03.08.2024 के आधार पर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आवेदन/जिल्द संख्या:-202400822030377

विक्रय मूल्य -20,00,000/

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार,(न्यायिक)
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :मोहनलालगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202410460324031
वाद संख्या:- 24031/2024
अशीष सिंह बनाम रीता देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/11/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया जो बाद तामील शामिल पत्रावली है। कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है वाद वादी के साक्ष्य में नियत की गया। वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में समस्त मौखिक, अभिलेखीय साक्ष्य पंजीकृत विक्रय पत्र खतौनी व साठे बारह एकड से अधिक भूमि न होने से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया। एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान कराये गये लेखपाल के बयान के अनुसार वादीय भूमि गॉवसभा, सीलिंग, भूदान की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व लेखपाल के बयान से पंजीकृत विक्रय पत्र की पुष्टि होती है। लेखपाल द्वारा अपने बयान में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। जिससे यह विक्रय पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः आदेश किया जाता है कि-

आदेश

ग्राम-धरमगंद खेड़ा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाता संख्या 00003 की गाटा संख्या 236 रकबा 0.3050हे0 में से रकबा 0.0383हे0 विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा0गु0 60ख के अंकित खातेदार/विक्रेता निधि पुत्री रामसुचित निवासिनी धरमंगदखेडा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का नाम पृथक कर क्रेता ख्वाहिश कन्स्ट्रक्सनस प्रा0लि0 कार्यालय पता द्वितीय तल, एलडिको कार्पोरेट चैम्बर नं0-01 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी आशीष सिंह पुत्र हरिबंश नारायण निवासी 116, नारायणपुर, सुल्तानपुर उ0प्र0 बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा विलेख दिनांक 03.08.2024 के आधार पर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आवेदन/जिल्द संख्या:-202400822030391

विक्रय मूल्य -20,00,000/

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - तहसीलदार,(न्यायिक)
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :मोहनलालगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202410460324027
वाद संख्या:- 24027/2024
आशीष सिंह बनाम रीता देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/11/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया जो बाद तामील शामिल पत्रावली है। कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है वाद वादी के साक्ष्य में नियत की गया। वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में समस्त मौखिक, अभिलेखीय साक्ष्य पंजीकृत विक्रय पत्र खतौनी व साठे बारह एकड से अधिक भूमि न होने से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत किया। एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान कराये गये लेखपाल के बयान के अनुसार वादीय भूमि गॉवसभा, सीलिंग, भूदान की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व लेखपाल के बयान से पंजीकृत विक्रय पत्र की पुष्टि होती है। लेखपाल द्वारा अपने बयान में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। जिससे यह विक्रय पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः आदेश किया जाता है कि-

आदेश

ग्राम-धरमगंद खेड़ा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाता संख्या 00003 की गाटा संख्या 236 रकबा 0.3050हे0 मे से रकबा 0.0383हे0 विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा0गु0 60ख के अंकित खातेदार/विक्रेता अनमोल पुत्र रामसुचित निवासी धरमगंदखेड़ा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का नाम पृथक कर क्रेता ख्वाहिश कन्स्ट्रक्सनस प्रा0लि0 कार्यालय पता द्वितीय तल, एलडिको कार्पोरेट चैम्बर नं0-01 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी आशीष सिंह पुत्र हरिबंश नारायन निवासी 116, नारायणपुर, सुल्तानपुर उ0प्र0 बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा विलेख दिनांक 03.08.2024 के आधार पर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आवेदन/जिल्द संख्या:-202400822030362

विक्रय मूल्य -20,00,000/

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"